भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1228

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2025

पी.एम.-अजय के अंतर्गत छात्रावास सुविधा

1228: श्रीमती पूनमबेन माडम

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के प्रमुख उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत स्वीकृत छात्रावास सुविधाएं अनुसूचित जाति के छात्रों को मंशानुसार लाभ पहुंचा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने छात्रावास स्वीकृत हुए हैं और कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) वर्ष 2021-22 से लागू की जा रही केंद्र प्रायोजित योजना है। व्यापक रूप से इस योजना के तीन घटक हैं: (i) 'आदर्श ग्राम', (ii) 'अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं हेतु अनुदान सहायता' और (iii) 'छात्रावास'।

इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त अवसंरचना और अपेक्षित सेवाएं सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना है।

(ii) कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना है।

(iii) गुणवत्तापरक संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों तथा आवश्यकतानुसार आकांक्षी जिलों/अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रों तथा भारत में अन्यत्र भी आवासीय स्कूलों में अनुसूचित जातियों के नामांकन को प्रोत्साहित करना तथा साक्षरता को बढ़ावा देना है।

(ख) और (ग): पीएम-अजय योजना के तहत छात्रावासों का निर्माण अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम और प्रोत्साहित करने के उपायों में से एक है। ऐसे छात्रावास देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ अनुसूचित जाति की आबादी का बाहुल्य है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाओं का अभाव है।

अब तक 867 छात्रावास स्वीकृत किये जा चुके हैं और 69,795 लाभार्थियों ने छात्रावास सुविधा का लाभ उठाया है।

*****